न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी— कमर चौधरी
आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 10/2023 सुपुर्दगीनामा
शिवराम मीना पुत्र श्री फैलीराम मीना जाति मीना निवासी नांगल बोहरा बगरवालों की ढाणी, तहसील बस्सी जिला जयपुर

बनाम

राज0 सरकार जरिये राजकीय अधिवक्ता
प्रार्थना –पत्र सुपुर्दगीनामा

उपस्थितः 1. श्री राकेश जैमन, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री अमित कुमार मीना, प्रवर्तन निरीक्षक, प्रतिनिधि जिला रसद अधिकारी दौसा
3. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांकः 03.02.2023

संक्षिप्त विवरण प्रा0 पत्र सुपुर्दगीनामा इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा प्रवर्तन दस्ते के साथ वाहन सं. आरजे 14 यूडी 5347 मारूती ओमिनी वैन को धारा 3/7 ई0सी0 एक्ट के अन्तर्गत जब्त सरकार कर लिया गया, जिसको प्रार्थी द्वारा सुपुर्दगी में संभलाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा की एक प्रति विभागीय पैरोकार सरकार को दी गई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार सरकार रसद कार्यालय के अभिलेख के साथ उपस्थित हुए। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी का वाहन वाहन सं. आरजे 14 यूडी 5347 मारूती ओमिनी वैन को पुलिस थाना सदर दौसा ने धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम में जब्त कर रखी है। प्रार्थी उक्त वाहन का मालिक व स्वामी है। वाहन को सुपुर्दगीनामा पर प्राप्त करने का अधिकारी है। वाहन थाने में पडा खराब हो रहा है। प्रार्थी को वाहन के अभाव में आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। पुलिस को उक्त वाहन की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी माननीय न्यायालय श्रीमान् के आदेशानुसार सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा पेश करने को तैयार है। अतः प्रार्थी का प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त जब्तशुदा वाहन मारूती वैन आरजे 14 यूडी 5347 को सुपुदर्गी में दिये जाने के आदेश फरमाये जावें।

विभागीय पैरोकार सरकार की बहस में दलील है कि दिनांक 13.1.2013 को जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा मय प्रवर्तन दस्ते के साथ ग्राम जीरोता कलां में रेल्वे फाटक से पहले स्थित मकान में दबिश दी जाकर मौके से रामावतार गुर्जर पुत्र हीरालाल गुर्जर को मारूती वैन में एलपीजी गैस अवैध रिफलिंग करते हुए पकडा गया। इसके अलावा दो अन्य मारूती वैन रिफलिंग हेतु खडी हुई थी। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा प्रवर्तन स्टाफ के साथ तीनों मारूती वैन को जब्त करके पुलिस थाना सदर दौसा में सुपुर्दगी पर दिया गया है। प्रार्थी को वाहन सुपुर्दगी में नहीं दिया जाकर प्रार्थी का प्रा0 पत्र सुपुदर्गीनामा खारिज फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 13:24:41 IST
Reason: SelfAttested

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा प्रवर्तन दस्ते के साथ वाहनों में घरेलू एलपीजी गैस रिफलिंग करते हुए मौके से रामावतार गुर्जर पुत्र हीरालाल गुर्जर को पकडा गया है। प्रकरण में तीनों मारूती वैन को कब्जे राज लिया

....निरन्तर 2 पर

जिला कलेक्टर, दौसा

जाकर सुरक्षार्थ पुलिस थाना सदर दौसा को सुपुर्द किया गया है। प्रार्थी वाहन का मालिक व स्वामी होने से सुपुदर्गी पर वाहन प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी को उचित राशि के सुपुदर्गीनामे व जमानतनामे पर सुपुर्दगी पर दिया जाना उचित होगा।

हमने बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि घरेलू एलपीजी के अवैध भंडारण एवं रिफलिंग की शिकायत थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर दौसा के द्वारा दूरभाष पर जिला रसद अधिकारी दौसा को दिये जाने पर जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा प्रवर्तन दस्ते के साथ दिनांक 13.1.2023 को ग्राम जीरोता कलां से रेल्वे फाटक से पहले मौके पर रामोतार गुर्जर पुत्र हजारी लाल गुर्जर को मारूती वैन में गैस की अवैध रिफलिंग करते हुए पाया गया। इसके अलावा दो अन्य मारूती वैन एलपीजी रिफलिंग करवाने हेतु खडी थी। उक्त तीनो मारूती वैन को जब्त करके पुलिस थाना सदर दौसा में सुरक्षार्थ सुपुर्द किया गया। श्री रामावतार गुर्जर के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत पृथक से प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त वाहन घरेलू गैस को मारूती वैन में भरवाने हेतु दुकान पर जाया जाना प्रमाणित होता है। प्रस्तुत प्रकरण में पुलिस की ओर से कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है जिसमें पुलिस अनुसंधान में उक्त वाहन की आवश्यकता हो। घरेलू एल0पी0जी0 गैस के अवैध भंडारण एवं रिफलिंग की दूरभाष पर जानकारी मिलने पर जिला रसद अधिकारी दौसा ने प्रवर्तन दस्ते के साथ वाहनों में एलपीजी गैस भरने पर 09 घरेलू गैस सिलेंडरों मय 69.00 किलोग्राम एलपीजी व दो बिजली की मोटर मय पाईप, रैगूलेटर व तौलने की हैगिंग स्केल तथा 3 मारूती वैन को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात करने हेतु प्रकरण पृथक से इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो विचाराधीन है। प्रकरण में पुलिस को उक्त वाहन की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि पुलिस द्वारा इस संबंध में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है जिसमें पुलिस को अनुसंधान में उक्त वाहन की आवश्यकता हो। हम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सुपुदर्गीनामा स्वीकार किये जाने योग्य समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा स्वीकार किया जाता है। जिला रसद अधिकारी दौसा जब्त उक्त वाहन सं0 आरजे 14 यूडी 5347 मारूती वैन को पचास हजार रूपये के व्यक्तिगत मुचलके इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने पर वाहन सुपुर्दगी पर दिये जाने के आदेश पारित किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 03 फरवरी, 2023 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 13:24:41 IST
Reason: SelfAttested

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा